शीर्ष प्राथमिकता/समयबद्ध

संख्या- 6/2015/667/26-2-2015

प्रेषक,

आलोक रंजन,
मुख्य सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

1- समस्त मण्डलायुक्त,
उ0प्र0।

2- समस्त जिलाधिकारी,
उ0प्र0।

समाज कल्याण अनुभाग-2 लखनऊः दिनांक 17 मार्च, 2015

विषयः- उ0प्र0 माता-पिता और वरिष्ठ नागरिकों का भरण-पोषण तथा कल्याण नियमावली-2014 एवं भरण-पोषण अधिकरण एवं अपीलीय अधिकरण के गठन के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक शासन की अधिसूचना सं0-464/26-2-2014-100(2)/2008, दिनांक 24.02.2014 एवं शासन की अधिसूचना सं0-2595/26-2-2014-100(2)/2008, दिनांक 20.10.2014 एवं अधिसूचना सं0-2596/26-2-2014-100(2)/2008, दिनांक 20.10.2014 का संदर्भ ग्रहण करें।

2- विदित होगा कि माता-पिता और वरिष्ठ नागरिकों का भरण-पोषण तथा कल्याण अधिनियम-2007 की धारा-32 के अधीन शासन की अधिसूचना सं0-464/26-2-2014-100(2)/2008, दिनांक 24.02.2014 द्वारा उ0प्र0 माता-पिता और वरिष्ठ नागरिकों का भरण-पोषण तथा कल्याण नियमावली-2014 प्रख्यापित की जा चुकी है। इसी प्रकार शासन की अधिसूचना सं0-2595/26-2-2014-100(2)/2008, दिनांक 20.10.2014 द्वारा भरण-पोषण के आदेश पर न्याय निर्णयन एवं विनिश्चय करने के प्रयोजन से राज्य में प्रत्येक राजस्व जिलों की प्रत्येक तहसील में संबंधित उपखण्ड अधिकारी की अध्यक्षता में भरण-पोषण अधिकरण तथा शासन की अधिसूचना सं0-2596/26-2-2014-100(2)/2008, दिनांक 20.10.2014 द्वारा उसी जिले के किसी अधिकरण के आदेश के विरूद्ध अपील की सुनवाई करने के लिए राज्य के प्रत्येक राजस्व जिला में संबंधित जिले के जिला मजिस्ट्रेट की अध्यक्षता में अपील अधिकरण का गठन किया गया है। उ0प्र0 माता-पिता और वरिष्ठ नागरिकों का भरण-पोषण तथा कल्याण नियमावली-2014 तथा भरण-पोषण अधिकरण/अपील अधिकरण विषयक अधिसूचना समाज कल्याण विभाग की वेबसाइट- www.dirsamajkalyan.in पर अपलोड है।

http://shasanadesh.up.nic.in

3- इस संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि कृपया उ0प्र0 माता-पिता और वरिष्ठ नागरिकों का भरण-पोषण तथा कल्याण नियमावली-2014 में उल्लिखित प्राविधानों तथा उपखण्ड अधिकारी की अध्यक्षता में प्रत्येक तहसील में गठित भरण-पोषण अधिकरण तथा जिला मजिस्ट्रेट की अध्यक्षता में प्रत्येक राजस्व जिले में गठित अपील अधिकरण को नियमावली में दिये गये प्राविधानों/दिशा-निर्देशों के अनुरूप क्रियाशील एवं प्रभावी करने की कार्यवाही शीर्ष प्राथमिकता पर कराना सुनिश्चित करें। आप सभी अपनी अध्यक्षता में होने वाली मासिक समीक्षा बैठक में भी जनपद स्तर/मण्डल स्तर पर उपरोक्त नियमावली एवं भरण-पोषण अधिकरण/अपील अधिकरण के संबंध में नियमित रूप से अनुश्रवण करना सुनिश्चित करें तथा यह भी समीक्षा करें कि भरण-पोषण अधिकरण/अपील अधिकरण में कितने मामलें दाखिल हो रहे है तथा उनके निस्तारण की क्या प्रगति है। यह भी उल्लेखनीय है कि शासनादेश सं0- सं0-2677/26-2-2014-100(2)/2008टी0सी0, दिनांक 31.10.2014 द्वारा जिला समाज कल्याण अधिकारी को भरण-पोषण अधिकारी पदाभिहित किया गया है।

4- यह भी निर्देशित किया जाता है कि उ0प्र0 माता-पिता और वरिष्ठ नागरिकों का भरण-पोषण तथा कल्याण नियमावली-2014 के प्राविधानों तथा भरण-पोषण अधिकरण /अपील अधिकरण के गठन के संबंध में जन सामान्य को जागरूक करने के लिए पर्याप्त प्रचार-प्रसार समाचार पत्रों/होर्डिंग्स/संचार माध्यमों से कराना सुनिश्चित करें ताकि अधिक से अधिक लोगों को उक्त नियमावली के प्राविधानों की जानकारी हो सकें तथा वे उससे लाभान्वित हो सकें।

उल्लेख करना है कि उ0प्र0 माता-पिता और वरिष्ठ नागरिकों का भरण-पोषण तथा कल्याण नियमावली-2014 का क्रियान्वयन शासन की प्राथमिकताओं में शामिल है। अतः उक्त निर्देशों के क्रम में प्रभावी कार्यवाही शीर्ष प्राथमिकता पर कराना सुनिश्चित करें।

भवदीय,

आलोक रंजन
मुख्य सचिव।

पृ0संख्या- 6/2015/667(1)/26-2-2015 तददिनांक-

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1- निदेशक, समाज कल्याण, उ0प्र0 लखनऊ।
2- समस्त जिला समाज कल्याण अधिकारी, उ0प्र0।
3- विभागीय पुस्तिका।

आज्ञा से,

सुनील कुमार
प्रमुख सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in